(51)

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

भोपाल, दिनांक ५ अक्टूबर, 2013

एफ 01–03/2013/दो–ए(3):: राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्–

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. अध्याय–एक सामान्य के नियम–2 परिभाषाएं (12) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

> "दाण्डिक दर से अभिप्रेत है आवास किराए की वह दर जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए।"

2. अध्याय–दो सामान्य पूल के आवास के नियम 5 (1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

> "सामान्य पूल से मध्यप्रदेश शासन के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्यरत नियमित सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास आवंटन की पात्रता होगी।"

स्पष्टीकरणः– सामान्य पूल से तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी, कंटीजेन्सी तथा कार्यभारित कर्मचारियों को आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी।

3. अध्याय–दो सामान्य पूल के आवास के नियम 6 (2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

> "शासकीय सेवकों/पदाधिकारियों को 'बी', 'सी', 'डी, एवं 'ई' श्रेणी के आवासों का आवंटन निम्न सदस्यों की आवास आवंटन समिति द्वारा किया जाएगाः–

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	अध्यक्ष

5-10-13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

2.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग	सदस्य सचिव

समिति आवेदक अधिकारियों की वरिष्ठता, दायित्व, कर्तव्यों की प्रकृति, सेवा के अधिकारियों की स्थानान्तरणीयता तथा अन्य सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन करेगी;

परन्तु समिति के लिए आवंटन के संबंध में कोई कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा।"

4. अध्याय–दो सामान्य पूल के आवास के नियम 7 (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण/डायलेसिस एवं हृदय रोग (एंजियोप्लास्टी/वायपास सर्जरी) से ग्रसित राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारी को आवास आवंटन – राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी, जिन्हें कैंसर(विषाणु उत्तक वृद्धि), गुर्दा प्रत्यारोपण/डायलेसिस एवं हृदय रोग (एंजयोप्लास्टी/वायपास सर्जरी) हो को पात्रता के आधार पर शासकीय आवास का आवंटन संचालक, संपदा संचालनालय द्वारा किया जाएगा।

ऐसे शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 2% (दो प्रतिशत) एक आवंटन वर्ष का कोटा रहेगा। इस श्रेणी में आवेदन करते समय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शासकीय सेवक की पत्नी/पति अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री के उक्त रोग से पीड़ित होने पर भी उक्तानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।"

5. अध्याय–दो सामान्य पूल के आवास के नियम 9 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"राज्य शासन एक कैलेण्डर वर्ष में रिक्त होने वाले सामान्य पूल के प्रत्येक श्रेणी के शासकीय आवासों की संख्या के 8% प्रतिशत तक

5-10-13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

43

रिक्त आवासों को विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आवंटित कर सकेगा :—

(1) मानवीय आधार पर (2) विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा आदि कारणों से, (3) विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों अथवा विधाओं में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर।"

6. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 10 (9)(क) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(9)(क) इस नियम के अन्तर्गत सामाजिक/राजनैतिक संस्थाओं को आवंटित आवासगृह का लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय—समय पर अधिसूचित दर से देय होगा। प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों तथा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को आवंटित आवासगृह का लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय—समय पर अधिसूचित दर से देय होगा।"

7. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 10 के बाद निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"10 (क)— मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों को आवास आवंटन

(1) राज्य शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के एसोसियेशनों को शासकीय आवासगृह का आवंटन मुख्यमंत्रीजी से समन्वय में आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा।

(2) ऐसा आवंटन पांच वर्ष के लिये किया जाएगा। उक्त अवधि के बाद पांच—पांच वर्षों की अवधि के लिये समय—समय पर आवंटन का नवीनीकरण मुख्यमंत्रीजी से समन्वय में आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा। नवीनीकरण के आवेदन के साथ पूर्व अवधि के लायसेंस शुल्क के पूर्ण भुगतान संबंधी प्रमाण संलग्न करना आवश्यक होगा।

(3) आवासगृह का लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय—समय पर अधिसूचित दर से देय होगा।"

21.10.13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

(५५)

8. अध्याय–छः प्रेस पूल के नियम 15 (1), (2), (3), (4), (6) एवं (7) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"(1) प्रेस पूल के अन्तर्गत 'ई' श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के अधिकतम 230 आवास रहेंगे।"

(2)(क) प्रेस पूल के अंतर्गत आवास आवंटन के लिए आवेदन पत्र आयुक्त/ संचालक, जनसंपर्क को प्रस्तुत किया जावेगा, जो अपने मत के साथ आवेदन सचिव, गृह विभाग को अग्रेषित करेंगे।

(ख) प्रेस पूल के शासकीय आवास, उन पत्रकारों को आवंटित किये जा सकेंगे, जिनके स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से कोई आवास, प्रकोष्ठ भोपाल में स्थित नहीं है :

परन्तु जिन पत्रकारों ने ऐसे आवास, प्रकोष्ठ, जो स्वयं या उनके किसी परिवार के सदस्य के नाम, स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से भोपाल नगर निगम/कोलार नगर परिषद् की सीमा में स्थित थे और जिनका हस्तांतरण, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पांच वर्ष तक की कालावधि के भीतर किसी अन्य को कर दिया है, उनके आवेदन प्रेस पूल के आवास आवंटन हेतु ग्राह्य नहीं किये जाएंगे।

(3) प्रेस पूल के आवास के लिये उप सचिव, गृह (सामान्य) विभाग द्वारा आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(4) प्रेस पूल के आवासों के आवंटन संबंधी आवेदनों पर नियम–10 के उप नियम–(5) के अन्तर्गत गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क समिति के सहयोजित सदस्य के रूप में रहेंगे।

(6) प्रेस पूल के आवासों के आवंटितियों के आवंटित आवास का मासिक लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर

4-10-13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

(45)

से लिया जावेगा। यह लायसेंस शुल्क प्रतिमाह 10 तारीख तक देय होगा।

(7) आवंटित आवास की कालावधि पूर्ण होने पर, मासिक लायसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने पर, आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर, पत्रकार नहीं रहने पर, भोपाल से बाहर स्थानांतरण या मुख्यालय परिवर्तन करने पर अथवा अन्य विधिसंगत कारणों से अपात्र होने पर राज्य शासन द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं आवंटित आवास को रिक्त कराया जाएगा।"

9. अध्याय–सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 17 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) एवं स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"भोपाल से अन्यत्र स्थानांतरित होने, सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से आवास रखने के लिये अनधिकृत होने पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिये शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास रख सकेगा। इसके उपरांत दांडिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।"

10. अध्याय–सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 18 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"किसी आवंटिती का भोपाल से बाहर स्थानांतरण या पदस्थापना होने पर या मुख्यालय परिवर्तित होने पर छः माह की अवधि के भीतर उसकी पुनः पदस्थापना भोपाल में होती है तो उसके पूर्व आवंटित आवास का पुनः आवंटन उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा।"

11. अध्याय–सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 20 (1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक, जिन्हें शासकीय आवास आवंटित रहा हो, उनकी सेवानिवृत्ति अथवा सेवा में रहते हुए स्वर्गवास होने पर उनको आंवटित आवास अथवा पात्रता के अनुसार

4-10-13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

(56)

किसी अन्य श्रेणी का आवास, उनके निकट संबंधी को, जो राज्य शासन की सेवा में हो, एक आवास आवंटित किया जा सकेगा। यदि सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक को 'जी' अथवा 'एच' श्रेणी का आवास आवंटित रहा है तो उनके निकट संबंधी को, जो शासकीय सेवक हो, सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक का ही आवास आवंटित किया जा सकेगा, भले ही ऐसा आवास निकट संबंधी की पात्रता से एक श्रेणी ऊपर का हो। निकट संबंधियों में (क) पति/पत्नी,(ख)पुत्र/पुत्रवधु, (ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक के साथ निवास कर रही हो, सम्मिलित होंगे।"

12. अध्याय–सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 22, (3) ग के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित एवं तत्पश्चात् घ निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"नियम–22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारत शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य पूल के आवास आवंटन पर प्रतिबंध–

(3)(ग) उपक्रम द्वारा सामान्य पूल का शासकीय आवास, जो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं, निजी आवास सामान्य पूल में उपलब्ध कराने तक, उनका लायसेंस शुल्क राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर से भुगतान किया जावेगा। संबंधित उपक्रम प्रतिमाह ऐसे आवासों का शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर से लायसेंस शुल्क कोषालय में अथवा संचालक, संपदा संचालनालय के कार्यालय में जमा कराने हेतु उत्तरदायी होंगे अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

(घ) जहाँ कहीं भी वर्तमान में भारत शासन के अधिकारियों को सामान्य पूल के आवास आवंटित हैं, उन्हें नवीन नियमों के प्रवृत्त होने के 6 माह के बाद की अवधि से शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर से किराया भुगतान करना होगा।"

5-10-17

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

13. अध्याय–आठ अनधिकृत आधिपत्य एवं बेदखली के नियम 28 (1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"(1) जब भी किसी शासकीय सेवक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाय तो स्थानांतरण आदेश की प्रति संपदा संचालक को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित की जाय। यदि किसी शासकीय सेवक के बारे में संपदा संचालक को सूचना प्राप्त हो कि उसका स्थानांतरण हो जाने के बाद आवास धारण करने की अवधि समाप्त होने पर भी शासकीय आवास गृह खाली नहीं किया है तो शासकीय सेवक का ऐसा कृत्य आचरण नियमों के विरूद्व होगा तथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की जावेगी।"

14. अध्याय–आठ अनधिकृत आधिपत्य एवं बेदखली के नियम 29 (2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित एवं (3) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"(2) अनधिकृत आधिपत्य की अवधि के लिये दांडिक दर से लायसेंस शुल्क वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी;

परन्तु यदि राज्य शासन का समाधान हो जाए कि ऐसा करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह किसी आवंटिती अथवा आवंटितियों के वर्ग से, ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर जैसा कि वह उचित समझे, अनधिकृत आधिपत्य की अवधि के लिये बाजार दर की दुगुनी राशि/दांडिक दर के स्थान पर आवंटिती को लागू सामान्य लायसेंस शुल्क से अन्यून दर से लायसेंस शुल्क लिये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) अनधिकृत आधिपत्य की अवधि के लिये वसूली योग्य शुल्क की राशि पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी वसूली योग्य होगा।"

15. अध्याय–दस लायसेंस शुल्क के नियम 41 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात :–

"आवास गृहों के लिए किराए का लेखा जोखा – भोपाल स्थित सामान्य पूल के शासकीय आवास गृहों के किराए कटौत्रे का लेखा–जोखा संचालक, संपदा के कार्यालय में रखा जाएगा।"

टीप : वर्तमान नियमों के पृष्ठ–2 नियम–2(12), पृष्ठ–14 नियम–17(1), पृष्ठ–17 नियम–19(3), पृष्ठ–19 नियम–23(5), पृष्ठ–21 नियम–29(2), पृष्ठ–23 नियम–32(4), पृष्ठ–23 नियम–33, पृष्ठ 23 नियम–35 स्पष्टीकरण–(2), पृष्ठ–25 नियम–37(1), पृष्ठ–25 नियम–38(3), पृष्ठ–25 नियम–39 पर भी "बाजार दर" या "बाजार दर की दुगुनी दर" लिखा है, उसे "दांडिक दर" से प्रतिस्थापित किया जाय।

4·10·13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग